



## अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

बिहार राज्य जल पर्षद  
गंगा परियोजना अंचल सं०-२,  
पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पटना-800001.

पत्रांक:- \_\_\_\_\_/

पटना, दिनांक:-...../

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, दलसिंहसराय ।

विषय:- ई.-टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-08/2018-19 (ग्रुप सं०-02) के कार्य मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत Providing Har Ghar Nal ka Jal through tap water in ward No.-13 under Dalsinghsarai Nagar Panchayat (Zone-VIII) का कार्य आवंटन करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1904 दिनांक-05/10/2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगाधीन पत्र से ई.-टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-08/2018-19 (ग्रुप सं०-02) के कार्य मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत नगर पंचायत दलसिंहसराय क्षेत्र के वार्ड संख्या-13 में हर घर नल का जल आपूर्ति का निर्माण कार्य हेतु मात्र 01 (एक) श्री केदार नाथ दत्त झा, ग्राम+पोस्ट-समसा, थाना-मंसुरचक, जिला-बेगूसराय द्वारा भाग लिया गया है, जो कि एकल निविदा है और यह पुनर्निविदा है। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना के ज्ञाप सं०-1844 दिनांक-27.09.18 के द्वारा निविदा निस्तार करने का अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रस्तुत तुलनात्मक विवरणी के अनुसार निविदाकार श्री केदार नाथ दत्त झा के द्वार परिमाण विपत्र से 4.01% (चार दशमलव शून्य एक प्रतिशत) अधिक दर उद्धित किया गया है।

उक्त कार्य में दर-दाता श्री केदार नाथ दत्त झा से दिनांक-09.10.18 को दर-वार्ता किया गया, जिसमें परिमाण विपत्र दर से 3% अधिक दर से कम दर पर कार्य करने हेतु सहमत नहीं हुये।

अतः दर-दाता श्री केदार नाथ दत्त झा, ग्राम+पोस्ट-समसा, थाना-मंसुरचक, जिला-बेगूसराय को परिमाण विपत्र की राशि ₹73,00,900/- रुपये से 3% अधिक दर पर यानि राशि ₹75,19,927/- (पचहत्तर लाख उनीस हजार नौ सौ सताईस) रुपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। अधिकतम व्यय की राशि प्रशासनिक स्वीकृति राशि के अन्तर्गत होगी।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दलसिंहसराय एकरारनामा करने के पूर्व जमानत की शेष राशि एवं वांछित कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त उसका सत्यापन कर एकरारनामा करेंगे एवं निम्न निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 06 (छः) माह होगी।
2. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जांचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैद स्वरूप प्रयुक्त किया जाय, जिसमें दर अंक एवं शब्द दोनों में हो।

कृ.पू.उ.

श्री मनीष  
उपनि. U Hand  
31/10/18

2375  
10-10-18

3. रोटरी रिभर्स मशीन के भौतिक सत्यापन संबंधित सयंत्र का प्रमाणक एवं स्वसत्यापित सूची संबंधित निविदाकार को संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसका भौतिक सत्यापन करने के बाद ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।
4. अग्रधन की राशि की जांच निश्चित रूप से करवाना सुनिश्चित करेंगे।
5. कार्य का एकरारनामा 10 (दस) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य भीघ्न प्रारम्भ कराया जाय।
6. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से की जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
7. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार की कराया जाय।
8. कार्य का निष्पादन कार्यपालक अभियंता (डुडा), समस्तीपुर के देख-रेख में कराना सुनिश्चित किया जाय एवं कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करायी जाय।
9. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा की गणना सही ढंग से की जा सके।
10. पाईप लाईन बिछाने के पूर्व HDPE/MDPE पाईप की गुणवत्ता की तृतीय पार्टी जांच (Third Party inspection) CPET हाजीपुर से अवश्य करा ली जाय। अन्य सामान जैसे फेरूल, फिटिंग्स इत्यादि ISI मार्क का ही प्रयुक्त किया जाय।
11. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट Mild steel Angle पर लगाना आवश्यक है, जो PCC से Fix किया गया हो।

प्राप्त तुलनात्मक विवरणी मूलरूप में सभी निविदा कागजात के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/-

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं0-2, पटना।

ज्ञापांक:-...../ पटना, दिनांक:-...../

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं0-2, पटना।

ज्ञापांक:-.....795...../ पटना, दिनांक:-.....09/10/2018/

प्रतिलिपि:-श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी (नल-जल निश्चय योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं0-2, पटना।  
09/10/18